उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-5
संख्या-15/2020/318(2)/12-5-2020-ब-4/2019
लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2020

शुद्धि पत्र

शासनादेश संख्या-14/2020/318/12-5-2020-ब-4/2019, दिनांक 20 मार्च, 2020 के साथ संलग्न बी0एम0-9 के कालम-1 में उल्लिखित अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401 00 101 03 00 के स्थान पर लेखाशीर्षक 2401 00 001 03 00 पढ़ा जाय।

2. उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-14/2020/318/12-5-2020-ब-4/2019, दिनांक 20 मार्च, 2020 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

संख्या-15/2020/318(3)/12-5-2020-ब-4/2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ की वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके, द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
5- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि संबंधित को धनराशि का आवंटन करते हुए आवंटन की प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8- अपर कृषि निदेशक (कृषि रक्षा), उ0प्र0, लखनऊ।
9- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
11- गार्ड फाइल।

भवदीय,

वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।